न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 26/रेगूलर/2025 (GCMS No. 2025/116)	11.08.2025	23.12.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी
रसद कार्यालय, हिण्डोली

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र बद्रीलाल गुर्जर,
   निवासी कुण्ड के पास, कंसुआ कोटा, जिला कोटा
2. प्रो. बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा,
   तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री मोहम्मद अनीस एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री संजय कुमार जैन एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन निरीक्षक, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 26/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/116 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 03.11.2025 को एवं अप्रार्थी सं. 2 जर्ये अभिभाषक श्री संजय जैन उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 17.11.2025 को अपना जवाब पेश किया गया, जिसमें कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 26 / रेगूलर / 2025 (GCMS No. 2025 / 116)	11.08.2025	23.12.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी
रसद कार्यालय, हिण्डोली

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र बद्रीलाल गुर्जर,
   निवासी कुण्ड के पास, कंसुआ कोटा, जिला कोटा
2. प्रो. बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा,
   तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री मोहम्मद अनीस एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री संजय कुमार जैन एडवोकेट।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन निरीक्षक, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 26 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025 / 116 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 03.11.2025 को एवं अप्रार्थी सं. 2 जर्ये अभिभाषक श्री संजय जैन उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 17.11.2025 को अपना जवाब पेश किया गया, जिसमें कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 07.08.2025 को प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली, थाना हिण्डोली से प्राप्त सूचना पर लम्बू ढाबा हिण्डोली के सामने से एक टाटा–एस टेम्पो मय गैस सिलेण्डरों के डीटेन कर थाना हिण्डोली में खडा हुआ था, का निरीक्षण करने पहुंचे। जब्त टाटा–एस टेम्पो नं. RJ 20 GC 3350 के मालिक जगदीश प्रसाद पुत्र बद्रीलाल गुर्जर ने बताया कि उक्त टेम्पो उसका स्वयं का है और वह बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा के लिये काम करता है तथा एजेन्सी द्वारा उसे मेहनताने के रूप में प्रति सिलेण्डर 21 रूपये का कमीशन दिया जाता है। वह गोठडा गैस एजेन्सी से हर दूसरे–तीसरे दिन सिलेण्डर लेकर बून्दी व कोटा में सप्लाई करता है तथा उसकी गाडी में रखे हुये 51 गैस सिलेण्डर (49 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा. वर्ग एवं 2 सिलेण्डर 19 किग्रा.) बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा के ही है। जगदीश प्रसाद से गैस एजेंसी में कार्यरत होने का परिचय पत्र, गैस गोदाम के गेट पास का वाउचर एवं डिलीवरी वाउचर सीट एवं अन्य गैस परिवहन हेतु वैध दस्तावेज मांगने पर उसके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला, साथ ही उक्त टेम्पो पर बालाजी एचपी गैस एजेन्सी का कलर पेन्ट किया हुआ नहीं मिला। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने मोबाइल में बालाजी एचपी गेस एजेन्सी गोठडा द्वारा काटा गया वाउचर दिखाया गया, जो उक्त गेस एजेंसी की इस अवैध कार्य में संलिप्तता का संदेह उत्पन्न करती है, क्योंकि उक्त वाउचर की मूल प्रति डिलीवरी मैन के पास रहती है, जो जगदीश के पास नहीं पाई गयी, दूसरा संदेह जगदीश के बयान अनुसार नियमित कर्मचारी नहीं होकर कमीशन पर कार्य करना बताया, तीसरा संदेह जगदीश के हस्ताक्षर एवं गेट पास वाउचर में डिलीवरी मैन पर किये हुए हस्ताक्षर अलग अलग है। जगदीश प्रसाद द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेजों के स्वयं की गाडी से (जो बालाजी गैस एजेन्सी गोठडा से अटैच्ड नहीं है) गैस सिलेण्डरों का परिवहन करने, उसके संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने के कारण उक्त 51 गैस सिलेण्डर (49 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा. वर्ग एवं 2 सिलेण्डर 19 किग्रा.) को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर को स्थानीय गैस एजेंसी हिण्डोली इण्डेन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रितेश जैन की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों मय सामग्री को राजसात किया जावे।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी टाटा–एस टेम्पो नं. RJ 20 GC 3350 का रजिस्टर्ड ऑनर है। प्रार्थी का उक्त वाहन बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा द्वारा किराये पर लिया था। बालाजी एचपी गैस एजेन्सी गोठडा द्वारा सप्लाई हेतु उक्त 51 सलेन्डरों को अपने वाहन में भरकर जैसे ही हिण्डोली जा रहा था तो हिण्डोली चौराहे पर पुलिस थाना हिण्डोली द्वारा वाहन को रोक कर जप्त कर लिया गया तथा एजेन्सी द्वारा दिया गया चालान बताये जाने पर पुलिसकर्मियों द्वारा उक्त चालान को फाडकर फेंक दिया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी का उक्त वाहन जमानत पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। ऐसे में उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि रसद विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में जब्त सिलेण्डर जिन्हें बालाजी एचपी गेस एजेन्सी गोठडा के बताया गया है, वह किस आधार पर बताये गये है इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है क्योंकि उक्त सिलेण्डर बालाजी एचपी गैस एजेंसी से संबंधित होते तो बिल/ वाउचर आदि दस्तावेज डिलीवरी वाहन चालक द्वारा मांगने पर दिखाये जाते। उक्त प्रकरण में कोई बिल/वाउचर आदि बालाजी एजेंसी द्वारा जारी नहीं किया गया है, न ही उक्त सिलेण्डर प्रार्थी की एजेंसी से संबंधित है। अतः उक्त प्रकरण में जब्तशुदा सिलेण्डरों का बालाजी एजेंसी से कोई संबंध नहीं होने से एजेंसी पर की गयी कार्यवाही ड्रोप फरमाया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से अवैध रूप से भण्डारण हेतु परिवहन किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान पेश तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण हेतु परिवहन करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	080987T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
2	2885067F	HPCL	14.2 कि.ग्रा.

एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

3	272092T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
4	239017T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
5	541562S	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
6	155194S	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
7	658498	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
8	033315	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
9	651805	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
10	238556	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
11	114852T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
12	7405065	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
13	196526	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
14	64372	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
15	9630A	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
16	2114255	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
17	742705	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
18	547084S	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
19	055190T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
20	367404	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
21	5139215	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
22	421346	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
23	686590	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
24	5095335	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
25	883698	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
26	1617543	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
27	679352T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
28	068105	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
29	389889T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
30	307518S	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
31	23887T	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
32	13075	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
33	8400399	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
34	124799S	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
35	173562	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
36	220893	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
37	256043	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
38	33315	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
39	3090468	HPCL	14.2 कि.ग्रा.

40	379111	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
41	572249	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
42	80292	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
43	306914	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
44	0505533	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
45	307921	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
46	462540	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
47	756400	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
48	586359	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
49	152445	HPCL	14.2 कि.ग्रा.
50	621615	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
51	073075	HPCL	19.0 कि.ग्रा.
		कुल गैस वजन	733.80 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 51 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी